an>

Title: Need to include Rajasthani languages in the Eighth Schedule of the Constitution .

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : महोदय, मैं सदन का ध्यान संविधान की 8वीं अनुसूची में भाÂ◌ा◌ाओं को जोड़ने के प्रस्तावों की ओर आकर्Â◌ि◌ात करते हुए बताना चाहूँगा कि यह पूरे देश के लोगों की माँग है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाÂ◌ा◌ा को उसी देश में मान्यता मिले। आज हजारों लोगों ने दिल्ली के जन्तर मन्तर पर राजस्थानी भाÂ◌ा◌ा को मान्यता देने की माँग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। जब संविधान लागू हुआ था तब 14 भाÂ◌ा◌ाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित थीं। समय-समय पर किए गए संविधान संशोधनों के माध्यम से आज 22 भाÂ◌ा◌ाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है भारत सरकार के पास 38 भाÂ◌ा◌ाओं को सम्मिलित करने के प्रस्ताव लम्बित हैं, जिसमें राजस्थानी भाÂ◌ा◌ा भी एक है। इस भाÂ◌ा◌ा को देश और विदेश में रहने वाले करीब 10 करोड़ लोग बोलते हैं। इस भाÂ◌ा◌ा का अपना साहित्य, इतिहास, सिनेमा और गायन भी है। महात्मा गाँधी जी ने कहा था कि "बच्चा सबसे ज्यादा अपनी मातृभाÂ◌ा◌ा में सीखता है।" यह भी विदित है कि भाÂ◌ा◌ाओं को मान्यता देने में सरकार को कोई बजट आवंटित नहीं करना होता है। राजस्थानी भाÂ◌ा◌ा का प्रस्ताव वÂ◌ार्न 2003 में राजस्थान विधान सभा द्वारा संसद को अपनी सहमति के साथ भेज दिया गया था, जिसके बाद सदन में चर्चा के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री जी ने 17 दिसम्बर 2006 को भाÂ◌ा◌ा को मान्यता देने के लिए बिल पेश करने का आश्वासन दिया था।

अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि देश भर के लोगों की भावना, सांसदों एवं राज्य सरकार के प्रस्तावों तथा सरकार द्वारा दिए जा रहे आश्वासनों पर गम्भीरता से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित राजस्थानी भाÂ◌ा◌ा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें।